HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2965/2026

1. Vicky Kumar S/o Mahesh Chand, Aged About 35 Years, R/o Wazirpur, Police Station Wazirpur, District Sawai Madhopur (Rajasthan)
2. Jitendra @ Jeetu S/o Gopal Singh, Aged About 34 Years, R/o Wazirpur, Police Station Wazirpur, District Sawai Madhopur (Rajasthan)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3564/2026

Laxman S/o Shri Harimohan @ Harmohan, Aged About 53 Years, R/o Wazirpur, P.s. Wazirpur, District Sawai Madhopur, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Prakash Chand Thakuriya Mr. Bhuvaneshwari Mr. Karishma Pareek Mr. Tarun erma Mr. Vikas Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP Mr. Rohit Sharma Mr. Abhishek Naithani

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

15/04/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पुलिस थाना **बजीरपुर जिला गंगापुर सिटी** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**153/2024** अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी **भारतीय दण्ड**

संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिये दो पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना–पत्र पेश किए गए हैं।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा कि उन्हें प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया जा रहा है। पूर्व के अन्वेषण में उनका कोई नाम नहीं लिया गया परंतु बाद में मुख्य अभियुक्त की पत्नी द्वारा शिकायत करने पर अन्वेषण कर्ता बदलकर संतराम मीना को अन्वेषण कर्ता बनाया गया और उनके विरूद्ध भी शिकायत करने पर उन्होंने प्रार्थी/अभियुक्तगण सहित अन्य सभी लोगों को मिथ्या संलिप्त कर दिया है। न्यायालय ने गत तिथि पर अनुसंधान अधिकारी को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया था। आज प्रकरण में पांचवे अनुसंधान अधिकारी श्री अंकुश कुमार आरपीएस (प्रोबेशनर) उपस्थित हैं। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण नये अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

योग्य लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नये अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए तत्पर हैं। अतः प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं इस प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी–अभियुक्तगण अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है, इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27.04.2026 को 11 एएम पर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करेंगे और अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी–अभियुक्तगण से आवश्यक अनुसंधान कर प्रकरण की केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी सुनवाई तिथि पर विद्वान लोक अभियोजक के मार्फत् न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

पत्रावली 04.05.2026 को सूचीबद्ध की जाए, तब तक इस मामले में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया जाये। प्रार्थी/अभियुक्तगण के दिनांक 27.04.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी को आगामी तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /50-51